संख्या–747 / 79–6–2017

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक : 12 जून, 2017

विषयः प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों मे संचालित मध्यान्ह भोजन योजना एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों पर संचालित हॉट कुक्ड मील और हौसला पोषण योजना का सतत निरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 496/79–6–06–1(1)/06 दिनांक 29 मार्च, 2006 के माध्यम से प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना के सतत निरीक्षण के लिए जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर क्रमशः जिलाधिकारी एवं उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में टॉस्क फोर्स का गठन करते हुए टॉस्क फोर्स के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रति माह 05 विद्यालयों का निरीक्षण उक्त शासनादेश के साथ संलग्न चेकलिस्ट पर करते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने के विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की रोकथाम हेतु किये जाने वाले प्रयासों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा आई0सी0डी0एस0 विभाग के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 1885/60–2–16–2/3(1)/12 टी0सी0 ।। दिनांक 17 जून, 2016 द्वारा प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रो पर 6 माह से 6 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों हेतु एवं शासनादेश संख्या 1884/60–2–16–2/3(1)/12 टी0सी0 ।। दिनांक 17 जून, 2016 द्वारा प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रो गर्भवती महिलाओं हेतु हौसला पोषण योजना प्रारंभ की गयी है। यह भी उल्लेखनीय है कि आई0सी0डी0एस0 विभाग के अन्तर्गत 3 वर्ष से 6 वर्ष के सभी बच्चों हेतु हॉट कुक्ड मील योजना पूर्व से संचालित है।

अतः उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या 496/79–6–06–1(1)/06 दिनांक 29 मार्च, 2006 के माध्यम से जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर गठित टॉस्क फोर्स के सदस्यों द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग की मध्याह्न भोजन योजना एवं आई0सी0डी0एस0 विभाग की हौसला पोषण योजना और हॉट कुक्ड मील योजना के समन्वित अनुश्रवण हेतु इस संशोधन के साथ निर्देश दिये जाते हैं कि विकास खण्ड स्तर पर गठित टॉस्क फोर्स में बाल विकास परियोजना अधिकारी भी सम्मिलित होगें।

इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के प्रभावी अनुश्रवण हेतु प्रत्येक जनपद में जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स निम्नवत होगीः–

जिला स्तरीय टास्क फोर्स

1. जिलाधिकारी –अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी –सदस्य
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी– सदस्य
4. जिला विद्यालय निरीक्षक –सदस्य
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी सदस्य
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी –सदस्य/सचिव
7. जिला पूर्ति अधिकारी– सदस्य
8. समस्त उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी–सदस्य
9. जिला विकास अधिकारी –सदस्य
10. परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0– सदस्य

11. जिला समाज कल्याण अधिकारी– सदस्य
12. जिला पंचायत राज अधिकारी–सदस्य

उक्त टॉस्क फोर्स के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम 05 विद्यालयों और 05 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण किया जाएगा। प्रत्येक माह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उक्त टास्क फोर्स की बैठक होगी एवं संलग्न चेक लिस्ट के बिन्दुओं पर प्राप्त आख्याओं का अध्ययन कर योजना के हित में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

टॉस्क फोर्स की बैठक प्रतिमाह नियमित रूप से आयोजित की जायेगी तथा बैठक में योजना के संचालन की गहन समीक्षा की जायेगी तथा यदि कोई समस्या है तो उसका निराकरण करते हुए योजना का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जायेगा।

इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में टास्कफोर्स गठित की जाएगी जिसके सदस्य निम्नवत होंगे :–

विकास खण्ड स्तरीय टास्क फोर्स

1. उप जिलाधिकारी –अध्यक्ष (अपने तहसील के सभी विकास खण्ड)
2. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी– सदस्य/सचिव प्रति उप विद्यालय निरीक्षक
3. खण्ड विकास अधिकारी– सदस्य
4. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्र– सदस्य
5. बाल विकास परियोजना अधिकारी–सदस्य
6. सहायक विकास अधिकारी पंचायत सदस्य
7. नायब तहसीलदार– सदस्य
8. उप जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य अधिकारी– सदस्य
9. पूर्ति निरीक्षक– सदस्य

उक्त टॉस्क फोर्स के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रत्येक माह अपने विकास खण्ड के 05 विद्यालयों एवं 05 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण किया जायेगा एवं इसकी बैठक प्रत्येक माह उप जिलाधिकारी के स्तर पर की जाएगी। उप जिलाधिकारी प्राप्त आख्याओं का अध्ययन कर योजना के हित में आवश्यक कार्यवाही करेंगे। जिला स्तर से की जाने वाली कार्यवाहियों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को प्रस्ताव प्रेषित करेंगे जिस पर निर्णय जिलाधिकारी स्तर से लिया जाएगा। विकास खण्ड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक के कार्यवृत्त की समीक्षा जनपद स्तरीय टॉस्क फोर्स में की जायेगी और जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि टास्क फोर्स की बैठक नियमित व प्रभावी हो।

टॉस्क फोर्सो से सम्बन्धित चेक लिस्ट संलग्न है। कृपया उपरोक्त निर्देशों का सम्यक पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। जनपद हेतु निर्धारित निरीक्षण के लक्ष्यों को पूर्ण कराकर जिलाधिकारी उसकी समीक्षा करेंगे। जनपद में कृत कार्यवाही की आख्या प्रत्येक माह निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, निदेशक, बेसिक शिक्षा, निदेशक, आई0सी0डी0एस0 एवं शासन के बेसिक शिक्षा और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभागों को अवश्य भेजी जाय।

मण्डलायुक्तों से यह अपेक्षा है कि उनके स्तर पर आयोजित होने वाली मासिक समीक्षा बैठकों में मध्यान्ह भोजन योजना, हौसला पोषण योजना एवं हॉट कुक्ड मील योजना को एजेण्डा बिन्दु में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाय तथा इस शासनादेश के अनुपालन को सुनिश्चित कराया जाय।

<u>संलग्नक : यथोपरि।</u>

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव।

Edu-6 G.O.2017

संख्या–747 (1)/79–6–2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, नगर विकास विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग।

(2) महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, उ0प्र0।

(3) निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।

(4) निदेशक, बेसिक/माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0।

(5) निदेशक, बाल विकास सेवाएं एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।

(6) समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

(7) समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उ0प्र0।

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

मध्यान्ह भोजन योजना सम्बन्धी विद्यालय-स्तरीय निरीक्षण प्रपत्र

(नोट :- कृपया लागू चेक बॉक्स पर टिक ☑ करें एवं जो लागू न हो उस पर क्रॉस ☒ का निशान लगायें। कोई चेक बॉक्स खाली न छोड़ें।)

जनपद:.................. विकासखण्ड ☐ नगर क्षेत्र ☐.................. विद्यालय:..................

1. वर्तमान शैक्षिक सत्र में जनपद/विकासखण्ड के अधिकारियों द्वारा विद्यालय का निरीक्षण कितनी बार किया गया है?..........

2. पूर्व निरीक्षणकर्ता द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण निर्देश :..................

   निर्देशों के अनुपालन की स्थिति : हाँ ☐ नहीं ☐ यदि नहीं, तो कारण ....

3. कार्यदायी संस्था के पास खाद्यान्न की उपलब्धता है? हाँ ☐ नहीं ☐ यदि है तो कब तक के लिए ....

   यदि नहीं, तो कारण ....

4. खाद्यान्न की गुणवत्ता : उच्च स्तरीय ☐ साधारण(FAQ) ☐ खराब ☐

5. शासनादेश के अनुरूप विद्यालय में खाद्यान्न का सैम्पल रखा गया है ☐ या नहीं ☐

6. कार्यदायी संस्था के पास परिवर्तन लागत की उपलब्धता है ☐ नहीं ☐ यदि है, तो कब तक के लिए ....

   यदि नहीं, तो कारण ....

7. मध्यांन्ह भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की सूचना :

नामांकन	IVRS में दर्ज भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या (www.upmdm.in से प्राप्त करें)	भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की MDM पंजिका में दर्ज संख्या	वास्तविक उपस्थिति	भोजन करने से पूर्व कितने बच्चों द्वारा हाथ धुले गये	MDM पंजिका में दर्ज, परन्तु अनुपस्थित बच्चों की संख्या	यदि बच्चे मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने के उपरान्त अनुपस्थित हैं तो क्या उनके आवेदन प्राप्त किये गये हैं?	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	
						हाँ ☐ नहीं ☐ लागू नहीं ☐	

8. योजनान्तर्गत सप्ताह में एक दिवस (बुद्धवार) को छात्रों को दूध वितरित किए जाने की स्थिति :

मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या	दूध ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या	प्रति छात्र वितरित किए गए दूध की मात्रा (मि०ली० में)	वितरित किए गए दूध का प्रकार (खुला दूध/पैकेट बन्द दूध/मिल्क पाउडर से बना दूध	दूध वितरित किये जाने का समय (मध्यान्ह भोजन से पूर्व/पश्चात्)	वितरण के पूर्व दूध उबाला गया था (हाँ/नहीं)	दूध वितरित नहीं किये जाने की स्थिति में स्पष्ट कारण
1	2	3	4	5	6	7

9. योजनान्तर्गत सप्ताह में सोमवार को वितरित ताजे फल वितरण की स्थिति :

मध्यान्ह भोजन ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या	छात्रों को फल वितरित किया गया अथवा नहीं? (हाँ/नहीं)	कौन सा फल वितरित किया गया (फल का नाम)	कितने बच्चों को फल वितरित किया गया?	फल वितरित न करने का स्पष्ट कारण।
1	2	3	4	5

10. आई०वी०आर०एस० कॉल निरन्तर प्राप्त हो रही है? हाँ ☐ नहीं ☐ यदि नहीं, तो कब से?..................

    इस सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों को सूचित करने का दिनांक..................

11. MDM पंजिका में अद्यतन प्रविष्टियां अंकित हैं? हाँ ☐ नहीं ☐ यदि नहीं, तो कारण ....

आंगनवाडी केन्द्र हेतु पर्यवेक्षण चेक लिस्ट

जनपद का नाम :–

परियोजना का नाम:–

आंगनवाडी केन्द्र का नाम:– मुख्य सेविका का नाम:–

भ्रमण की तिथि:–

केन्द्र पर पहुंचने का समय:–

कमांक			
1.1	आंगनवाडी कार्यकत्री का नाम(उपस्थित / अनुपस्थित)		
1.2	आंगनवाडी सहायिका का नाम (उपस्थित / अनुपस्थित)		
1.3	क्या आंगनवाडी कार्यकत्री / सहायिका यूनिफॉर्म व बैच में है।		
2	केन्द्र संचालन स्थल:–		
2.1	विभागीय भवन		
2.2	सामुदायिक भवन		
2.3	किराये पर		
2.4	प्राथमिक विद्यालय		
3	कुल पंजीकृत लाभार्थी:–		
3.1	06 माह से 03 वर्ष		
3.2	03 वर्ष से 06 वर्ष		
3.3	गर्भवती महिलाएं		
3.4	धात्री माताएं		
3.5	किशोरी बालिकाएं (सबला योजना के अन्तर्गत)		
4	निरीक्षण के समय आंगनवाडी केन्द्र पर उपस्थित बच्चों की संख्या		
4.1	क्या केन्द्र पर मार्निंग स्नैक दिया जा रहा है ?	हॉ	नही
4.2	क्या केन्द्र पर गरम पकाया भोजन दिया जा रहा है? यदि नही तो कारण।		
4.3	क्या केन्द्र पर किचन की व्यवस्था है ?		
4.4	खाना केन्द्र पर बनता है अथवा नही ?		
4.5	पकाये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता अच्छी है अथवा खराब		
5.1	नमक आयोडीन युक्त का प्रयोग किया जा रहा है ?	हॉ	नही
5.2	मसालें एगमार्क का प्रयोग किया जा रहा है ?	हॉ	नही
5.3	तेल एगमार्क का प्रयोग किया जा रहा है ?	हॉ	नही
6.1	खाना बनाने हेतु बर्तन उपलब्ध है ?	हॉ	नही
6.2	बच्चों को खिलाने हेतु बर्तन उपलब्ध है ?	हॉ	नहीं
7	टेक होम राशन वितरण प्रत्येक माह की 05, 15, तथा 25 तिथि को निर्धारित है, यदि ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस उपरोक्त तिथियों के आस पास मनाया जाता है तो पोषाहार वितरण ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस को किया जायेगा। निरीक्षण के दिन गत तिथि को पोषाहार की स्थिति:–		
7.1	06 माह से 03 वर्ष के बच्चों की संख्या		
7.2	गर्भवती महिलाओ की संख्या		
7.3	धात्री माताओ की संख्या		
8	मुख्य सेविका द्वारा केन्द्र के अन्तिम निरीक्षण की तिथि		

टिप्पणी:–

निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम / हस्ताक्षर

हौसला पोषण योजना हेतु परिवेक्षण चेकलिस्ट

8.1	क्या 3 वर्ष–6 वर्ष तक के बच्चों हेतु ईवनिंग स्नैक्स उपलब्ध कराया जा रहा है?*(चना मुरमुरा अथवा बिस्किट का प्रावधान है)*			
8.2	गर्भवती महिला का भोजन कहां पकाया जा रहा है ? *(गिड डे गील के किचन, आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन में ए आंगनबाडी कार्यकर्त्री के घर गें, अन्य)*			
8.3	अति कुपोषित बच्चों हेतु भोजन कहां पकाया जा रहा है ? *(आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन गें ए आंगनबाडी कार्यकर्त्री के घर गें, अन्य, आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन गें अन्य)*			
8.4	क्या अति कुपोषित बच्चों व गर्भवती हेतु फल केन्द्र पर वितरित किया जा रहा है?(हां / नही)			
8.5	क्या अति कुपोषित बच्चों हेतु देशी घी का सील्ड पैकेट आंगनबाड़ी केन्द्र से लाभार्थियों को वितरित किया है?(हां / नही)			
8.6	क्या केन्द्र पर आयरन की लाल गोली उपलब्ध है? (हां / नही)			
8.7	क्या गर्भवती महिलाओं को खाने के बाद लाल आयरन की गोली खिलाई गयी?(हां / नही)			
8.8	क्या गर्भवती महिलाओं को एवं बच्चों के अभिभावकों को किसी प्रकार का परामर्श केन्द्र पर प्राप्त हुआ? *(एक संदेश बताने पर ही उत्तर हां में लिखें)*			
8.9	क्या प्रधान स्कीम के संचालन के बारे में जानकारी रखते हैं? (हां/नहीं)			
8.10	क्या प्रधान स्कीम के संचालन में सहयोग कर रहे हैं?(हां/नहीं)			
8.11	क्या केन्द्र पर किसी प्रकार का रिकार्ड बना हुआ है अथवा नही।(हां/नहीं)			
8.12	निरीक्षण के दिन कुल भोजन करने वाले लाभार्थियो की संख्या/ कुल केन्द्र पर पंजीकृत गर्भवती महिलाये या अति कुपोषित बच्चों की कुल संख्या (x/y के रूप में)	गर्भवती महिला हेतु	6 माह –3 वर्ष	3 वर्ष–6 वर्ष
9	**मीना मंच**			
	क्या विद्यालय में मीना मंच गठित है कि नहीं (हां/नहीं)			
	यदि हां जो क्या मंच की किशोरियां पोषण व स्वास्थ्य विषयों पर कोई चर्चा करती हैं अथवा नहीं (हां/नहीं)			